समाचार-प्रकाशनार्थ:-

नागरिक ही बना सकते है रतलाम को नम्बर 1.कलेक्टर श्री डाड
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जमीनी तैयारियों की क समीक्षा

रतलाम 22 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जमीनी तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ कलेक्टोरेट सभागृह में निगम अ धकारियों की समीक्षा बैठक ली।

आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने निर्दे शत कया क स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 निकट है इस हेतु सभी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट जायें इस हेतु कर्मचारियों को पाबंद कये जाने हेतु ड्यूटी लगाई जाये।

इसके अलावा श्री डाड ने निर्दे शत कया क स्वच्छ सर्वेक्षण में आम नागरिकों भू मका अहम है इस हेतु नागरिकों को इससे जोड़े जाने हेतु आई.ई.सी. गति व ध में तेजी लाई जाकर नागरिकों से सीधे संपर्क कया जाये व स्वच्छता हेतु तेजी से व्यापक प्रचार प्रसार कया जाये।

बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने निर्दे शत कया क नगर में ऐसे दुकानदार जो क दुकान बंद करते समय कचरे को अपनी दुकानों में रख लेते है व सुबह कचरे को सड़क या खुले में फेंक देते है ऐसे दुकानदारों की दुकानें सील की जाये।

कलेक्टर श्री डाड ने स्टार रेटिंग व स्वच्छ सर्वेक्षण की जमीनी तैयारियों की समीक्षा कर आगामी कार्ययोजना नियोजित की। इसके अलावा 5 स्टार रेटिग हेतु जमीनी तैयारियांए स्टार रेटिंग का जायजाए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नागरिकों की भू मका पर चर्चा कर श्री डाड ने कहा क स्वच्छता में नागरिक ही बना सकते है रतलाम को नम्बर 1

इसके अलावा आयोजित बैठक में स्वच्छता हेतु नगर निगम द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का आंकलन कया गया साथ ही शहर के टे ं चग ग्राउण्ड पर स्थित प्रसंस्करण ईकाईयों की बेहतरी हेतु कार्ययोजना बनाये जाने व अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

बैठक में पीआईयू उज्जैन संभाग के आई.सी. एक्सपर्ट डॉ0 हिमांशु शुक्लाए टेक्नीकल एक्सपर्ट श्री सुशील कनाथेए श्री प्रतीक मश्राए उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए श्री निशीकान्त शुक्लाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री सर्वश्री अनवर कुरेशीए राजेन्द्र मश्राए राजेश पाटीदारए वकास संह मरकामए मनीष तिवारीए सद्वार्थ सोनीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए श्रीमती अनिता ठाकुरए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे।

जुलवानिया टे॰ चंग ग्राउण्ड का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

वृह्द रूप से खाद निर्माण हेतु दिये निर्देश

रतलाम 22 फरवरी । नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारियां वृह्द रूप से की जा रही जिसके तहत गीले कचरे से जै वक खाद बनाने के कार्य में तेजी लाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने पीआईयू उज्जैन संभाग के डॉ0 हिमांशु शुक्लाए श्री सुशील के साथ जुलवानिया टे॰ चंग का निरीक्षण कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान निर्दे शत कया क गीले कचरे से जै वक खाद बनाने के कार्य में तेजी लाये जाने हेतु निर्माण कार्य कये जाये जिसके तहत कम्पोस्ट पीट निर्माणए एम.आर.एफ. (मटेरियल रिकवरी फे स लटी) का कार्य करवाये जाये।

इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क टे॰ चंग ग्राउण्ड क ेले-आउट अनुसार फें सग कार्य व ग्राउण्ड के अन्दर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाये जाने के निर्देश के साथ ही खाद बनाने हेतु नियुक्त ठेकेदार को खाद बनाने के कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान दिये।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द व्यासए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री श्री राजेश पाटीदारए श्री ब्रजेश कुशवाहए श्री मनीष तिवारीएए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे।

दो सफाई कर्मचारी सेवा से बर्खास्त व एक निलंबित

रतलाम 22 जनवरी । महू रोड बस स्टैण्ड के निरीक्षण के दौरान गंदगी पाये जाने व कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 2 अस्थाई सफाई संरक्षकों को सेवा से बर्खास्त कये जाने के साथ ही स्थाई सफाई संरक्षक को निलंबित कया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा महू रोड बस स्टैण्ड के निरीक्षण के दौरान वहां पर पर्याप्त सफाई नहीं होने व गंदगी पाये जाने पर अस्थाई सफाई संरक्षक शवशंकर पता अर्जून व लोकेश को सेवा से बर्खास्त कया गया व स्थाई सफाई संरक्षक सतीश पता चंदू को निलंबित कया गया।

’ रंगो से दिया स्वच्छता का संदेशए बच्चे बोले स्वच्छ बनाएगे रतलाम’

रतलाम 22 फरवरी । शहर के काटजू नगर स्थित सरस्वती शशु मंदिर के संगीत महा वद्यालय में र ववार को स्वच्छता संकल्प देश का हर र ववार की वशेष थीम गंदगी पर प्रहार- हम है तैयार कार्यक्रम हुआ जिसमे स्कूली बच्चो ने पेंटिगए स्लोगन आदि स्पर्धाओं के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा क हम सभी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करेगे।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारियाए पूर्व पार्षद काकानी सोश्यल वेलफेर फाउंडेशन के श्री गो वंद काकानीए सहायक यंत्री श्री एम.के. जैनए स्वास्थ्य अ धकारी ए.पी. संहए श्री शैलेन्द्र गोठवालए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए संगीत वद्यालय प्राचार्य रेखा गंधेए कोषाध्यक्ष श्री सुनील लाठीए श्री अर वन्द मश्राए श्री त्रिवेदी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मां. सरस्वती के पूजन व दीप प्रज्जवलन से हुई। सरस्वती वंदना छात्रा वं शका ने प्रस्तुत की।

इस मौके पर उपस्थित जनो को संबो धत करते हुए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण -2021 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए स्वच्छता का महत्व समझाया।

उन्होने कहा नागरिको की थोड़ी सी जागरुकता और समझदारी रतलाम शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बना सकती हैं।

श्री झारिया उपस्थित छात्र- छात्राओ से स्वच्छता से जुड़े सवाल भी पूछे जिसका बच्चो ने सही जवाब दिया। यहां बच्चों ने स्वच्छता पर आधारित

स्लोगन और आकर्षक पेंटिग भी प्रस्तुत की जो काफी सराही गई। इन प्रतियो गताओं मे सफल रहे अथर्व सौंलकीए वंदना शर्माए प्रदीप सेनए दुर्गेश्वरी पंवार वं शका उपाध्यायए राजकुमार यादव और काजल मालपानी आदि को अति थयों ने नगर निगम की और से प्रमाण पत्र और काकानी वेलफेयर फाउण्डेशन की तरफ से बालपेन वतरित कए।

कार्यक्रम का संचालन सुभाष चतले ने कया और आभार स्कूल प्राचार्य रेखा गंधे ने माना।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दीनदयाल रसोई केन्द्रों का निरीक्षण

शेष कार्य दो दिवस में पूर्ण करने के दिये निर्देश

रतलाम 22 फरवरी । माननीय मुख्यमंत्री श्री शवराज संह जी चौहान की पहल पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत हर गरीब को सस्ता व पौष्टीक भोजन उपलब्ध कराने हेतु निगम द्वारा स वक सेन्टर व त्रिपो लया गेट पर प्रारंभ कये जाने वाले रसोई केन्द्र का निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण कया।

स वक सेन्टर स्थित रसोई केन्द्र क्रमांक 1 के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क खाद् सामग्री की सफाई करवाई जाये साथ ही केन्द्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्थाए शेष रंगाई पुताई आदि का कार्य 24 फरवरी तक पूर्ण करवा लया जाये। इसके अलावा रसोई केन्द्र के सामने समतलीकरण व साफ-सफाई के भी निर्देश संबं धत को दिये।

रसोई केन्द्र क्रमांक 2 त्रिपो लया गेट के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क केन्द्र में कये जा रहे मरम्मतए रंगाई-पुताईए बैठक सहित अन्य कार्य 2 दिवस में पूर्ण कराने के निर्देश संबं धत को दिये।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए सटी मैनेजर श्री नितिन तिवारीए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे।

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

28 फुटकर व्यवसायियों से 8 कलो पॉलीथीन जब्त कर कया जुर्माना

रतलाम 22 फरवरी । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000६ रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत लालवानीजी कस्तुरबा नगर पर 250ए अरिहंत श्री न्यू रोड पर 200ए त्रिमूर्ति स्वीट्स न्यू रेाड पर 150ए इन्दरसेठ कस्तुरबा नगर परए सोनू जायसवाल महलवाड़ाए मेवाड़ साड़ी न्यू रोडए सांई कृपा फुट वयर न्यू रोड पर 100.100ए षेरू महू रोड बस स्टैण्डए मॉ गंगाश्रीए सतीष पानी पुरीए राजा बाबुए कषन पानी पुरीए कुलदीप पानी पुरीए बाबा चाट न्यू रोडए इन्द्रेषए षुभम् पानी पतासाए मोहन पानी पतासाए मोहन पानी पतासाए राजेन्द्रए सुरजबाईए कैलाषीबाईए राजूए वक्रमए ओम व्यासए सुरेषए फुलीबाईए निर्मलाबाईए वमलाबाई व एक अन्य कस्तुरबा नगर पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

रामगढ़ में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 32ए68ए144ĕ संपत्तिकर व 7ए44ए520ĕ जलकर जमा कराया

रतलाम 22 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ĕ व जलकर 6ए000ĕए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ĕ व जलकर 55ए775ĕए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विि़र में संपत्तिकर 2ए38ए000ĕ व जलकर 49ए010ĕए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000ĕ व जलकर 43ए670ĕए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000ĕ व जलकर 29ए280ĕए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000ĕ व जलकर 19ए850ĕए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000ĕ व जलकर 48ए220ĕए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000ĕ व जलकर 14ए000ĕ ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000ĕ व जलकर 86ए540ĕए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000ĕ व जलकर 3ए76ए905ĕए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500ĕ व जलकर 76ए470ĕए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000ĕ व जलकर 47ए595ĕए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000ĕ व जलकर 22ए680ĕए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644ĕ व जलकर 55ए320ĕए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000ĕ व जलकर 59ए500ĕए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144ĕ व जलकर 6ए71ए025ĕए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000ĕ व जलकर 19ए000ĕए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000ĕ व जलकर 64ए780ĕए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000ĕ व जलकर 66ए715ĕ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंें 34ए72ए144ĕ संपत्तिकर व 7ए44ए520ĕ जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है। निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
672 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 22 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों

को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 22 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 672 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 22 फरवरी को सेठजी का बाजारए त्रिपो लया गेट व चांदनी चौक से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त

123 दिनों में 147 वॉल्व व 851 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 22 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 22 फरवरी तक 147 वॉल्व व 851 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

 ‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 22 फरवरी सोमवार को शव नगर दरगाह के पासए 80 फीट रोड सेन्ट्रल प्लाजा के पासए जवाहर नगर लोहे वाली पु लया के पासए कल्याण नगर व सुभाष नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संब धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संब धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 22 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 22 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें।

अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 22 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों

पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/22ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.